



Case No. 63/2025

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

SUMMONS

फाइल सं.: NCST/DEV-1541/JH/5/2023-ESDW -RU-IV

श्री निलेन्दु कुमार सिंह
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक,
सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड,
सी एल.सी. मुख्यालय, दरभंगा हाउस,
कचहरी रोड, मोरहबादी,
रांची-834029, झारखंड
ई:मेल- cmd.ccl.cil@coalindia.in

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए निम्नलिखित मामलों का अन्वेषण करने का निश्चय किया है, अतः राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय सदस्य डॉ आशा लकड़ा के समक्ष दिनांक **07/07/2025** को **02:00 P.M** बजे, आयोग मुख्यालय, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में आपकी व्यक्तिगत उपस्थिति एतद्वारा अपेक्षित है। आप आयोग द्वारा जांच के लिए संबन्धित दस्तावेज़ अपने साथ लायें।

मामलों का संदर्भ:-

संदर्भ 1 (i) भूमि अधिग्रहण कर मुआवजा नहीं देने के संबंध में श्री रमेश करमाली, अध्यक्ष, ऑल इण्डिया शेड्युल्ड कास्ट/शेड्युल्ड ट्राइब्स/बैकवर्ड क्लासेस एम्प्लॉयज को-ऑर्डिनेशन कौन्सिल, ग्राम व पोस्ट-सांडी, थाना-रजरप्पा, जिला-रामगढ़, झारखंड का अभ्यावेदन।

(ii) एनसीएसटी पत्र दिनांक 08.01.2025 के साथ मामले में हुई सिटिंग का कार्यवृत्त

यदि आप बिना किसी विधि-सम्मत के कारण के आदेश का अनुपालन नहीं करते हैं तो आपको सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XVI के नियम 12 में दिये गए अनुपस्थिति के परिणाम भुगतने होंगे।

दिनांक **01/07/2025** को मेरे हस्ताक्षर और सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की मोहर से दिया गया।

मोहर



COPY to:-

NIC for uploading

हस्ताक्षर

[Signature]

न्यायालय अधिकारी

Court Officer

National Commission for Scheduled Tribes

Government of India

Lok Nayak, Bhawan, New Delhi-110003